



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं.07/2023-आईईएस/आईएसएस

दिनांक : 19.04.2023

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 09.05.2023)

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023

(आयोग की वेबसाइट – <https://www.upsc.gov.in>)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष/महिला/ट्रान्सजेंडर) से अनुरोध है कि वे सरकार (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से तैयार की गई इस परीक्षा की सूचना को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **उम्मीदवारों को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।** उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही, आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है। आयोग मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों के सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार <https://www.upsonline.nic.in> वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एकवारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म पर स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें। ओटीआर का पंजीकरण जीवनकाल में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले हो रखा है, तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता/सकती है।

2.1 ओटीआर विवरण में संशोधन: "यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी। ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 07 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरान्त इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है, तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 16/05/2023 होगी।

2.2 आवेदन प्रपत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त): आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के अगले दिन से इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात् 10.05.2023 से 16.05.2023 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफॉर्म में लॉग-इन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन प्रपत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

2.3 आवेदन वापस लेना: उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात् उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं, विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

2.4 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 09 मई, 2023 18.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <https://www.upsc.gov.in> पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

5. विशेष अनुदेश :

उम्मीदवारों को "परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेशों" (परिशिष्ट-III) और नोटिस के परिशिष्ट-IV में निहित "वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों के संबंध में विशेष अनुदेशों" को सावधानीपूर्वक पढ़ लें को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6. ओ॰एम॰आर॰ पत्रक को भरने के लिए अनुदेश :

(क) ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। पेंसिल या स्याही पेन का प्रयोग न करें।

(ख) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अणुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

7. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिये गए गलत उत्तरों के लिए दंड (ऋणात्मक अंकन) दिया जाएगा।

8. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

9. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वाच इत्यादि या कैमरा या ब्ल्यूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू सख्त मना है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)

आयोग ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु उम्मीदवारों के लिए समय – सीमा निर्धारित की है जो परीक्षा की तिथि के अगले दिन से 7 वें दिन सायं 6.00 बजे तक है। ऐसे अभ्यावेदन यूआरएल URL <http://upsconline/nic/in/miscellaneous/QPRep/> के माध्यम से "ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)" द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएं। ई – मेल/डाक/दस्ती रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से भेजे गए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार किया नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा उम्मीदवार के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस विंडो की 7 दिन की अवधि समाप्त होने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

सरकार ऐसा कार्मिक बल तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करें।

संख्या-12/2/2022-प.1(ख) – भारत के राजपत्र के दिनांक 19 अप्रैल, 2023 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतमान में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 23 जून, 2023 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

(1) अहमदाबाद, (2) बेंगलुरु, (3) भोपाल, (4) चंडीगढ़, (5) चेन्नई, (6) कटक, (7) दिल्ली, (8) दिसपुर, (9) हैदराबाद, (10) जयपुर, (11) जम्मू, (12) कोलकाता, (13) लखनऊ, (14) मुम्बई, (15) पटना, (16) प्रयागराज (इलाहाबाद), (17) शिलांग, (18) शिमला, (19) तिरुवनंतपुरम

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और अहमदाबाद केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आबंटन "पहले आवेदन करो पहले आबंटन पाओ" पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र, बेंचमार्क विकलांग छात्रों की परीक्षा की भी व्यवस्था करेंगे।

2.(क) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उनके नाम तथा इन सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान रिक्तियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

भारतीय आर्थिक सेवा 18

भारतीय सांख्यिकी सेवा 33

टिप्पणी : सरकार द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी सेवा में 2 (दो) रिक्तियां (एक बेकलॉग रिक्ति सहित) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों [1 (एक) रिक्ति विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) वाले के लिए और 1 (एक) बेकलॉग रिक्ति बधिर या ऊंचा सुनने वाले (डी/एचएच) के लिए आरक्षित रखी गई है] के लिए आरक्षित है, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.01.2018 के अनुसार आपस में बदला जा सकता है तथा भारतीय आर्थिक सेवा में लोकोमोटर दिव्यांगता श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 1 (एक) रिक्ति आरक्षित रखी गई है। उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। प्रारंभ में नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी।

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] तथा बेंचमार्क विकलांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा।

(ख) कोई भी उम्मीदवार पात्र होने पर केवल एक सेवा अर्थात् भारतीय आर्थिक सेवा अथवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए प्रतियोगी हो सकता है। आयोग द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग परिणाम घोषित किए जाएंगे।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो।

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2022-23, 2021-22, तथा 2020-21 की आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो 01.04.2023 (वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति के उपरांत) को/ के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद का न हो।

यदि कोई उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.व.पि.को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा.को अ.पि.व., अनुसूचित अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत परीक्षा के प्रत्येक चरण पर सामान्य मेरिट के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदण्डों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) के किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी विकलांगता की उप-श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों को किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के समय के बीच 3 महीने से अधिक अंतर न हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क विकलांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह संशोधित विकलांगजन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के नियम 19 के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए अन्यथा पात्र हो।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंच मार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/ रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करते समय, ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए अनुसार, उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र (अंतिम तारीख

तक) मौजूद होने चाहिए। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2022-23 हेतु अपेक्षित आय के आधार पर आय और संपदा प्रमाणपत्र हो जो 01.04.2023 (वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति के उपरांत) को/के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद का न हो।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आयोग उम्मीदवारों के प्राप्तंक (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, परंतु जिन्हें नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इस प्रकटन योजना के माध्यम से गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। यह विकल्प उन्हें साक्षात्कार हेतु मेल किए गए ई-समन पत्र की पावती भेजते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से प्रवजन कर आया हो।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसको भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

(II) आयु - सीमाएं :

(क) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2023 को पूरे 21 वर्ष हो जानी चाहिए, किन्तु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1993 से पहले और 1 अगस्त, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।
- (ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिये लागू आरक्षण को पाने के पात्र हैं।
- (iii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।
- (iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली अगस्त, 2023 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 2023 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है), या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

- (v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पहली अगस्त, 2023 को पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष।
- (vi) (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग (ई) अ से द के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3(II)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-2 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी-3 : उपर्युक्त पैरा 3(II)(ख)(iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी-4- उपर्युक्त पैरा 3(II) (ख) (vi) के अंतर्गत आयु में छूट के उपबंधों के बावजूद, बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी-5: प्रत्येक सेवा हेतु प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और शारीरिक अपेक्षाओं (पीआर) का ब्यौरा इस नोटिस में दिया गया है जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) द्वारा निर्दिष्ट तथा निर्धारित किए गए हैं। विकलांग व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत केवल उसी/ उन्हीं विकलांगता(ओं) की श्रेणी (श्रेणियों) वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे जिनका उल्लेख किया गया है। इसलिए, विकलांग श्रेणी वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और उसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें के उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार आवेदन पत्र में प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में/टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 6 में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध

अधिकाधिक दिनांक 23.06.2023 को आयोजित होने वाली भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के आयोजन के दिन तक किया जाता है।

इस सन्दर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आर आई डी)।
3. अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता।
6. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आई डी।

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :

(क) परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र/ अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

(ख) परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/ प्रायोगिक सांख्यिकी में से एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या सांख्यिकी/ गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी-I : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2023 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की अंतिम तारीख तक जारी किया गया होना चाहिए।

टिप्पणी-II : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी-III : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विविधा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(IV) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2023 में यथा प्रकाशित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 की नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए गए शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क

उम्मीदवारों को ₹200 (दो सौ रुपए मात्र) का परीक्षा शुल्क अदा करना होगा [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है]। यह शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा करने के माध्यम से या किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा वीजा/ मास्टर/रूपे क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान से किया जा सकता है। जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 08.05.2023 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य

समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् **09.05.2023** को **18.00 बजे** तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई भुगतान अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-2 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-3 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं के लिए चिकित्सा आरोग्यता (बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने बेंचमार्क विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी-I : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-II : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

टिप्पणी-III : यदि कोई उम्मीदवार 2020 में ली गई भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसे परीक्षा परिणाम/नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक भर देना चाहिए।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को <https://www.upsconline.nic.in> लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म पर स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें। ओटीआर का पंजीकरण जीवनकाल में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले हो रखा है, तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता/सकती है।

ओटीआर विवरण में संशोधन: “यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी। ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 07 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरान्त इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है, तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख **16.05.2023** होगी।

आवेदन प्रपत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त): आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के अगले दिन से इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात् **10.05.2023** से **16.05.2023** तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के

दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफॉर्म में लॉग-इन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन प्रपत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

आवेदन वापस लेना: उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात् उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

ऑनलाइन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उम्मीदवारों द्वारा यथोचित तत्परता और सावधानी पूर्वक भरे जाने वाले विवरणों में संशोधन के संबंध में आयोग द्वारा किसी प्रकार की पूछताछ, अभ्यावेदन आदि पर विचार 'नहीं' किया जाएगा क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया को समय से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भरने चाहिए। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

टिप्पणी-I: उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठाता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-II: अधूरे या त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऐसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऐसे अस्वीकार किए गए आवेदन प्रपत्रों के बारे में किसी भी अभ्यावेदन अथवा पत्राचार पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों की प्रिंट की प्रति अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी चरणों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम, जिसके जुलाई/अगस्त, 2023 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें:

1. आयु का प्रमाण-पत्र।
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र जिसमें परीक्षा के विषयों का उल्लेख हो।
3. जहां लागू हो, वहां अ.ज., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
5. जहां लागू हो, वहां बेंचमार्क विकलांग होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र।

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। सफल उम्मीदवारों को उस समय उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ इस विस्तृत आवेदन प्रपत्र को इसके प्रिंटआऊट के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर करके आयोग को भेजना होगा। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2023 में अधिसूचित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023 के नियमों के नियम 12 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

- (i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
- (ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख :

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **09 मई, 2023 तक 18.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-II (क) पर उपलब्ध है।

(ii) आवेदन वापस लेना: उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात् उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवारों के साथ उनकी उम्मीदवारी के संबंध में पत्र-व्यवहार

नहीं करेगा:

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट [<https://www.upsc.gov.in>] पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण, जैसे आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार, परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ रहता है या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में उसे आयोग से कोई अन्य सूचना प्राप्त नहीं होती, तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं.011-23381125/011-23385271/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार से उसके ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है, तो ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्येक्षित होगा।

केवल इस तथ्य का, कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग, उम्मीदवार के भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा (लिखित) परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उसकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों के आधार पर सत्यापन करता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि किए जाने तक संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी अंतिम रहेगी।

उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है, इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं।

- (ii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो, क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- (iii) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यकता पड़ने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।
- (iv) उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण :

आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आर.आई.डी.)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता।
6. वैध और सक्रिय ई-मेल आई.डी.।

विशेष ध्यान दें:

- (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।
- (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- (iii) उम्मीदवार की भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखने

का परामर्श दिया जाता है।

8. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का लाभ उठाने के मामले में पात्रता की शर्तें वही होंगी, जो "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत निर्धारित हैं। एकाधिक विकलांगता वाले उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अंतर्गत केवल श्रेणी (ड.)-एकाधिक विकलांगता, के तहत आरक्षण के पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के तहत श्रेणी (क) से (घ) के अंतर्गत, 40% तथा इससे अधिक विकलांगता होने के आधार पर, किसी अन्य विकलांगता श्रेणी के तहत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते कि बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को, चिन्हित सेवा/पद की अपेक्षाओं के अनुसार, शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (क्षमता/अक्षमता) के संदर्भ में अर्हता की विशेष शर्तों को भी पूरा करना होगा।

भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्रम सं.	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
क	दृष्टिहीनता (बी)	एच,एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू (ब्रेल/सॉफ्टवेयर में)
	अल्प दृष्टि-लो विजन(एलबी)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
ख	बधिर(डी)	एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू, एसई
	श्रवण बाधित (एचएच)	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से), एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई
ग	ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), डीडब्ल्यू(बौनापन), एलसी(कुष्ठ उपचारित), एएवी(तेजाबी हमला पीड़ित) तथा सीपी(प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।]
घ	एसएलडी(डिस्कैलकुलिया को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन
ड.	एकाधिक अक्षमता (एमडी) में निम्नलिखित शामिल है:- लोकोमोटर अक्षमता (मस्कलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि या दृष्टिहीनता सहित अर्थात् एलबी/बी सहित ओए, एलबी/बी सहित ओएल, एलबी/बी सहित ओएलए, एलबी/बी सहित बीएल, एलबी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलबी/बी सहित एएवी, एलबी/बी सहित एलसी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू(दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलबी के लिए)
	लोकोमोटर अक्षमता (मस्कलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता(डी) या श्रवण बाधित (एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलए, डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी	एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच(केवल एचएच के लिए)
	एचएच सहित एलबी	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित)
	लोकोमोटर अक्षमता (मस्कलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) एसएलडी सहित अर्थात् एसएलडी सहित ओए, एसएलडी सहित ओएल, एसएलडी सहित ओएलए, एसएलडी सहित बीएल, एसएलडी सहित एएवी, एसएलडी सहित डीडब्ल्यू	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।]
	एलबी सहित एसएलडी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई(उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित), एन
	एसएलडी सहित एचएच	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन
	एचएच सहित लोकोमोटर अक्षमता (मस्कलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलबी के लिए)

नोट : एच- सुनना, एसपी- बोलना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, एन- संख्यात्मक परिकलन क्षमता, सी- संचार तथा बीएल- दोनों पांव प्रभावित।

भारतीय आर्थिक सेवा

जिस श्रेणी की पहचान की गई	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
(क) दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि-लो विजन	दृष्टिहीनता (बी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू (ब्रेल/साँफ्टवेयर में)
	अल्प दृष्टि-लो विजन(एलवी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
(ख) बधिर और श्रवण बाधित	बधिर(डी)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई
	श्रवण बाधित (एचएच)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से)
(ग) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास	ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), सीपी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात), डीडब्ल्यू (बौनापन), एलसी (कुष्ठ उपचारित) एएवी, (तेजाबी हमला पीड़ित), तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ़ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ़ की चोट)	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपकरणों के साथ किया जाए।]
(ड.) खंड (क) से (ग) श्रेणी के तहत एकाधिक दिव्यांगता (एमडी) वाले उम्मीदवारों के लिए, खंड (घ) को छोड़कर, इस शर्त के अन्वय में कि पद को श्रेणी 'क' के अंतर्गत पूर्ण दृष्टिहीनता तथा श्रेणी 'ख' के अंतर्गत पूर्ण बधिरता के जोड़ के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा।	लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि(एलवी) या दृष्टिहीनता(बी) सहित अर्थात् एलवी/बी सहित ओए, एलवी/बी सहित ओएल, एलवी/बी सहित ओएलए, एलवी/बी सहित बीएल, एलवी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलवी/बी सहित एएवी, एलवी/बी सहित एलसी	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/साँफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)
	लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता (डी) या ऊंचा सुनना(एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलए, डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी	एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच (केवल एचएच के लिए)
	एचएच सहित एलवी	एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित)
	एचएच सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर)	एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/साँफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए)

नोट : एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, सी- संचार, एच- सुनना, एसपी- बोलना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, बीएल- दोनों पांव प्रभावित, तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ़ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ़ की चोट)।

9. परीक्षा की योजना, विषयों का स्तर तथा पाठ्यक्रम आदि का विवरण इस नोटिस के परिशिष्ट-1 में देखा जा सकता है।

(ओम प्रकाश)

अवर सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-1
परीक्षा की योजना

खण्ड-1

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी।

भाग 1 - के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, पूर्णांक 1000 होंगे।

भाग 2 - आयोग द्वारा जिस उम्मीदवार को बुलाया जाता है उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

भाग 1 - के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :-

(क) भारतीय आर्थिक सेवा

क्रम	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय	संख्या
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घण्टे	
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घण्टे	
3.	सामान्य अर्थशास्त्र-I	200	3 घण्टे	
4.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	200	3 घण्टे	
5.	सामान्य अर्थशास्त्र-III	200	3 घण्टे	
6.	भारतीय अर्थशास्त्र	200	3 घण्टे	

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्रम संख्या	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घण्टे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घण्टे
3.	सांख्यिकी-I (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घण्टे
4.	सांख्यिकी-II (वस्तुनिष्ठ)	200	2 घण्टे
5.	सांख्यिकी-III (वर्णनात्मक)	200	3 घण्टे
6.	सांख्यिकी-IV (वर्णनात्मक)	200	3 घण्टे

टिप्पण 1: सांख्यिकी I और II में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे (प्रत्येक प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न होंगे जिन के लिए अधिकतम अंक 200 है, जिन्हें 120 मिनटों में किया जाना है।

टिप्पण 2: सांख्यिकी प्रश्न-पत्र III और IV वर्णनात्मक प्रकार का होगा जिसमें लघु उत्तर/लघु प्रश्न (50:) तथा लम्बे उत्तर और बोधन क्षमता के प्रश्न (50:)। प्रत्येक खंड में से एक लघु प्रश्न प्रकार का और एक प्रश्न का हल देना अनिवार्य है। सांख्यिकी-IV पेपर में सात खंड होंगे। उम्मीदवारों को उनमें से किन्हीं दो खंडों को चुनना होगा। सभी खंडों के समान अंक होंगे।

टिप्पण 3: सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के पेपर जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षाएँ दोनों के लिए समान हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

टिप्पण 4: भारतीय आर्थिक सेवा के सभी अन्य पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

टिप्पण 5: परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम का वितरण नीचे खण्ड-2 में दिए गए हैं।

2. भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परम्परागत (निबंध) प्रकार के होंगे केवल सांख्यिकी I और II को छोड़कर जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने चाहिए। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

4(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों बाजूएं प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4(ii) अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VI के प्रपत्र में मांगा जाएगा (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट- VIII (उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिनकी लेखन क्षमता प्रभावित है)।

(iii) स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, ऐसे उम्मीदवार प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.5 पात्र उम्मीदवारों द्वारा मांग किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय उन्हें प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी-1: किसी लेखन सहायक (स्क्राइब) की पात्रता की शर्तें परीक्षा हाल में उसके आचरण तथा वह भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में पात्र उम्मीदवार (उपरोक्त यथापरिभाषित) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के अतिरिक्त लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी 2 : दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

बेहतर आँख और बेहतर करना	खराब आँख उत्तम तरीके से ठीक करना	अपंगता प्रतिशत	विकलांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ङ (अल्प दृष्टि)

दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक			
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

टिप्पणी 3 : दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीडित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी A

- आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के लिए एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।
- यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।
- केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
- कम-से-कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा।
- प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक एस. आई. इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को परीक्षा में वर्णनात्मक प्रकार के पेपरों में वैज्ञानिक (गैर-प्रोग्रामयोग्य प्रकार) कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रोग्राम प्रकार कैलकुलेटर, हालांकि, अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे कैलकुलेटर का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का सहारा लेने के समान होगा। परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर के लोनिंग या इंटरचेंज की अनुमति नहीं है। हालांकि, परीक्षा में उद्देश्य टाइप पेपर्स में कोई कैलकुलेटर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

भाग-2

मौखिक परीक्षा - उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीय जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचनी होगी। साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षा तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझबूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिसके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, उद्देश्य, उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता आलोचना ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

खण्ड-2

परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे। अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत तो तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। अर्थशास्त्र/सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं के विशेष रूप से परिचित हों।

सामान्य अंग्रेजी (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके। संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्य: गद्यांश दिए जाएंगे।

सामान्य अध्ययन (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन किया हो। इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनितिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

सामान्य अर्थशास्त्र-I (केवल भा.आ.से. हेतु)

भाग क:

1. उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत: मूलाधार उपयोगिता विश्लेषण: सीमान्त उपयोगिता और माँग, उपभोक्ता अधिशेष, अनधिमान वक्र, विश्लेषण और उपयोगिता कार्य, मूल्य आय और स्थापना प्रभाव, स्लूट्स्की प्रमेय और माँग वक्र हार्स, प्रकटित अधिमान उपागम, द्वयात्मक और प्रत्यक्ष उपयोगिता कार्य और व्यय फलन, जोखिम और अनिश्चयता के अंतर्गत विकल्प। पूर्ण सूचना के सरल क्रियाकलाप, नैश संतुलन की अवधारणा।
2. उत्पादन के सिद्धांत: उत्पादन के कारक और उत्पादन, फलन, उत्पादन फलन के रूपरू काब-डगलस, स्थिर लोच स्थानापन्नता और नियत गुणांक प्ररूप, ट्रांसलोग उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, प्रतिफल के अनुमाप, उत्पादन के प्रतिफल संबंधी कारक, द्वयात्मक तथा लागत फलन, फर्मों की उत्पादक क्षमता का माप, तकनीकी एवं निर्धारण क्षमता, आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन उपागम-फर्म तथा उद्योग का संतुलन।
3. मूल्य के सिद्धांत: विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अंतर्गत कीमत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र कीमत निर्धारण, सीमांत, लागत कीमत निर्धारण चरम भार कीमत निर्धारण, प्रति आर्थिक सहायता मुक्त कीमत निर्धारण तथा औसत लागत कीमत निर्धारण, मार्शल तथा वालरसन की स्थिरता विश्लेषण, अपूर्ण सूचना तथा व्यावहारिक संकटग्रस्त समस्याओं सहित कीमत निर्धारण।
4. वितरण के सिद्धांत: नव क्लासिकी वितरण सिद्धांत : कारकों की कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कारकों का योगदान तथा उनके समूहन की समस्या-आयलर प्रमेय, अपूर्ण स्पर्ध के अंतर्गत कारकों का मूल्य निर्धारण, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार, रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कैलेकी के समिष्ट वितरण सिद्धांत।
5. कल्याण मूलक अर्थशास्त्र: अंतरवैयक्तिक तुलना तथा समूहन की समस्या, सार्वजनिक वस्तुएं तथा निकासी, सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण के बीच अपसरण, प्रतिपूखत सिद्धांत, पैरेटो का इष्टतमवाद, सामाजिक वरण तथा अन्य अभिनव स्कूल, कोसे और सेन तथा गेम विचारधाराओं सहित।

भाग ख :

अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां:

1. अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां: विभेदीकरण और एकीकरण तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, इष्टतमीकरण तकनीक, सेट्रस, आव्यूह (मैमैट्रिसेज) तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, रैखिक बीजगणित और अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन और लिओनटिफ का निविष्ट-उत्पादन प्रदर्श (मॉडल)।
2. सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियां : केन्द्रीय प्रवृत्ति और परिक्षेपण का मापन, सहसंबंध और समाश्रयण, काल श्रेणी सूचकांक, प्रतिचयन एवं सर्वेक्षण विधियां, प्राक्कल्पना परीक्षण, सरल अप्राचलिक परीक्षण, विभिन्न रैखिक एवं अरैखिक फलनों पर आधारित वक्रोरेखन न्यूनतम वर्ग विधियां और अन्य बहुचर विश्लेषण (केवल अवधारणा तथा परिणामों की व्यवस्था), प्रसरण का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, विभेदी विश्लेषण, आय वितरण पैरेटो का वितरण नियम, लघुगणक प्रसामान्य वितरण, आय असमानता का मापन, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक। एकचर और बहुचर परावर्तन विश्लेषण। अपारंपरिक, स्वतः सह-संबंध और मल्टी कोलनियरिटी की समस्याएं और समाधान।

सामान्य अर्थशास्त्र-II (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. आर्थिक विचारधारा: वाणिज्यवादी भू-अर्थशास्त्री, क्लासिकी, मार्क्सवादी, नव क्लासिकी, केन्स और मौद्रिकवादी स्कूल विचारधारा।
2. राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा: राष्ट्रीय आय का मापन, सरकारी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर आधारित राष्ट्रीय आय के रोजगार और उत्पादन के तीन प्रचालित मापों में अंतःसंबंध, पर्यावरणीय प्रतिफल, ग्रीन राष्ट्रीय आय।
3. रोजगार, उत्पादन, मुद्रा स्पर्धा मुद्रा और वित्त के सिद्धांत : क्लासिकी सिद्धांत एवं नव-क्लासिकी उपागम। संतुलन, क्लासिकी के अन्तर्गत विश्लेषण और नव क्लासिकी विश्लेषण। रोजगार और उत्पादन कीन्स का सिद्धांत, कीन्सोत्तर

विकास। स्पर्धा-प्रतियोगिता; माँग उत्प्रेरित बनाम लागत जन्य स्पर्धा-प्रतियोगिता-पिफलिप वक्र तथा उसके नीतिगत निहितार्थ। मुद्रा, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। परिमाण सिद्धांत की प्रफाइडमैन द्वारा पुनर्व्याख्या, मुद्रा की तटस्थता, ऋणयोग्य निधियों की पूंजीगत और माँग तथा वित्तीय बाजार में संतुलन, मुद्रा की माँग पर कीन्स का सिद्धांत। कीन्स के सिद्धांत में आईएस-एल मॉडल और एडी-एएस मॉडल।

4. वित्तीय और पूंजीगत बाजार: वित्त और आर्थिक विकास, वित्तीय बाजार, शेयर बाजार, गिफ्ट बाजार, बैंकिंग और बीमा। इक्विटी बाजार : प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की भूमिका और कौशलता, व्युत्पन्न बाजार : भविष्य और विकल्प।

5. आर्थिक वृद्धि और विकास : आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा उनका मापन : अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा उनके विकास के अवरोधक-वृद्धि, गरीबी और आय वितरण। वृद्धि के सिद्धांत : क्लासिकी उपागम: एडमस्मिथ, मार्क्स एवं शुम्पिटर-नव क्लासिकी उपागम, रॉबिन्सन, सोलो, कॉल्डोर एवं हैरोड डोमर। आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टॉव, रोसेन्स्टीन रोडन, नर्क्स, हिर्श्चमैन, लीबेन्सटिन एवं आर्थर लेविस, एमिन एवं प्रैंफक (आश्रित विचारधारा) राज्य तथा बाजार की अपनी-अपनी भूमिकाएं। सामाजिक विकास का उपयोगवादी और कल्याणवादी उपागम तथा ए. के. सेन की समालोचना। आर्थिक विकास के लिए लेन की क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता और मानव गरीबी सूचकांक, अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत की मूल बातें।

6. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अभिलाभ, व्यापार की शर्तें, नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत: रिकार्डो, हैबर्लर, हेक्सचर-ओहलिन तथा स्टॉपलर-सैमुअलसन-प्रशुल्क के सिद्धांत-क्षेत्रीय व्यापार प्रबन्ध, 1997 का एशियाई वित्तीय संकट 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र संकट-कारण और प्रभाव।

7. भुगतान संतुलन: भुगतान संतुलन में विकृति, समायोजन तंत्र, विदेश व्यापार गुणक, विनिमय दरें, आयात एवं विनिमय नियंत्रण तथा बहुल विनिमय दरें, भुगतान संतुलन के आईएस-एलएम तथा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल।

8. वैश्विक संस्थाएं: संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक मामलों से संबद्ध एजेंसियां विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय विकास निकायों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिकाएं जी-20।

सामान्य अर्थशास्त्र-III (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. **लोक वित्त:** कराधन के सिद्धांत: इष्टतम कर और कर सुधर, कराधन के सूचक। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत: सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और प्रभाव, सार्वजनिक व्यय नीति और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सार्वजनिक निवेश निर्णयों के मानदण्ड, छूट की सामाजिक दर, निवेश के छाया मूल्य, अकुशल और विदेशी मुद्रा। बजटीय घाटा। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सिद्धांत।

2. **पर्यावरण अर्थशास्त्र:** पर्यावरणीय रूप से धरणीय विकास, रियो प्रक्रिया 1992 से 2012, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, समेकित पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति। पर्यावरणीय मूल्य उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं का मूल्य। मूल्यांकन अभिकल्प और प्रकटित अधिमानक पद्धतियां। पर्यावरणीय नीतिगत लेखों का प्रकल्प: प्रदूषण कर और प्रदूषण अनुज्ञा, स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक कार्रवाई और अनौपचारिक निवियमन निःशेषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के सिद्धांत। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण करार। जलवायु परिवर्तन की समस्याएं। क्योटो प्रोटोकाल, 2017 तक के करार/समझौते वाली कार्य योजनाएं व्यापार योग्य अनुज्ञा और कार्बन कर, कार्बन बाजार और बाजार तंत्र। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन जलवायु निधि।

3. **औद्योगिक अर्थशास्त्र:** बाजार ढाँचा, फर्मों का संचालन और कार्य निष्पादन, उत्पाद विभेदीकरण और बाजार संकेन्द्रण, एकाधिकारात्मक मूल्य सिद्धांत और अल्पाधिकारात्मक अन्तरनिर्भरता और मूल्य निर्धारण, प्रविष्टि निवारक मूल्यनिर्धारण, स्तर निवेश निर्णय और फर्मों का व्यवहार, अनुसंधान और विकास तथा नवीन प्रक्रिया, बाजार। ढाँचा और लाभकारिता, फर्मों की लोकनीति और विकास।

4. **राज्य, बाजार एवं नियोजन:** विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन विनियमन और बाजार, सूचक नियोजन। विकेन्द्रीत नियोजन।

भारतीय अर्थशास्त्र (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. **विकास एवं योजना का इतिहास:** वैकल्पिक विकास नीतियाँ: आयात स्थानापति और संरक्षण पर आधारित आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन-संवेष्टन पर आधारित 1991 के बाद की वैश्वीकरण नीतियाँ: राजकोषीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा व्यापार संबंधी सुधार।
2. **संघीय वित्त:** राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग और करों में भागीदारी के विषय में उनके सूत्र, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का वित्तीय पक्ष, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों का वित्तीय पक्ष।
3. **बजट निर्माण तथा राजकोषीय नीति:** कर, व्यय बजटीय घाटा, पेंशन एवं राजकोषीय सुधार, लोक ऋण प्रबंधन और सुधार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, भारत में काला धन तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था परिभाषा, आकलन, उत्पत्ति, परिणाम तथा उपचार।
4. **निर्धनता, बेरोजगारी तथा मानव-विकास:** भारत में असमानता तथा निर्धनता उपायों का आकलन, सरकारी उपायों का मूल्यांकन, विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का मानव संसाधन विकास। भारत की जनसंख्या नीति तथा विकास।
5. **कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी रणनीतियाँ:** प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं (भूमि संबंध तथा भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, आधुनिक कृषि निविष्टियाँ तथा विपणन, मूल्यनीति तथा उपादान-वाणिज्यिकरण तथा विशाखन। निर्धनता प्रशमन कार्यक्रम सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास तथा नवीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
6. **नगरीकरण एवं प्रवास के संबंध में भारत का अनुभव:** प्रवासन प्रवाह के विभिन्न प्रकार और उद्भव तथा स्थानों की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, नगरीय अधिवास की विकास प्रक्रिया नगरीय विकास रणनीतियाँ।
7. **उद्योग:** औद्योगिक विकास की रणनीति: औद्योगिक नीति में सुधार, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, औद्योगिक वित्त के स्रोत, बैंक, शेयर बाजार, बीमा कम्पनियाँ, पेंशन निधियाँ, बैंकेतर स्रोत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश एवं सूचीगत निवेश में विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, निजीकरण तथा विनिवेश।
8. **श्रम:** रोजगार, बेरोजगारी तथा आंशिक रोजगार, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कल्याण-रोजगार सृजन के लिए रणनीति-नगरीय श्रम बाजार तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, श्रम संबंधी सामाजिक मुद्दे, जैसे बाल-श्रम, बंधुआ मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और इस के प्रभाव।
9. **विदेश व्यापार:** भारत के विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, व्यापार की संरचना, दिशा तथा व्यवस्था व्यापार नीति संबंधी अभिनव परिवर्तन भुगतान संतुलन, प्रशुल्क (टैरिफ नीति, विनिमय दर तथा भारत और विश्वव्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अपेक्षाएं, द्विपक्षीय व्यापार करार और उनके निहितार्थ।
10. **मुद्रा तथा बैंकिंग:** वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, भारतीय मुद्रा बाजार की व्यवस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, विकास वित्त पोषण संस्थाओं, विदेशी बैंक तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की बदलती भूमिकाएं, भारतीय पूंजी बाजार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास तथा भारतीय वित्त से इस के संबंध, भारत में वस्तु बाजार, स्पॉट और वायदा बाजार, एफएमसी की भूमिका।
11. **मुद्रास्फीति:** परिभाषा, प्रवृत्तियाँ, आकलन, परिणाम और उपाय (नियंत्रण) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अवयव और प्रवृत्तियाँ।

सांख्यिकी-I(वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) प्रायिकता(प्रोबेबिलिटी):

प्रायिकता और परिणामों की प्रसिद्ध एवं अभिगृहीत परिभाषाएं। पूर्ण प्रायिकता के नियम, सप्रतिबंधित प्रायिकता, बेज-प्रमेय एवं अनुप्रयोग। सतत एवं असतत यादृच्छिक चर। बंटन फलन और उसकी विशेषताएं।

मानक असतत और सतत प्रायिकता बंटन – बर्नूली, एक समान, द्विपद, प्वासों, ज्यामितिक, आयताकार, चरघातांकी, प्रसामान्य, कौशी, पराज्यामितिक, बहुपदी, लाप्लास, ऋणात्मक द्विपद, बीटा, गामा, लघुगणक । यादृच्छिक वेक्टर, संयुक्त एवं मार्जिनल बंटन, सप्रतिबंध बंटन, यादृच्छिक चर फलनों का बंटन । यादृच्छिक चरों के अनुक्रम के अभिसरण के बहुलक -बंटन में, प्रायिकता में, एक प्रायिकता के साथ तथा वर्ग माध्य(मीन स्कवेयर) में । गणितीय प्रत्याशा एवं सप्रतिबंधन प्रत्याशा । अभिलक्षण-फलन एवं आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन, प्रतिलोमन, अद्वितीयता तथा सतत प्रमेय । बोरल 0-1 नियम, कोल्मोगोरोव, 0-1 नियम । शेवीशेफ एवं कोल्मोगोरोव की असमिका । स्वतंत्र चर के लिए वृहत संख्याओं का नियम तथा केंद्रीय सीमा प्रमेय ।

(ii) सांख्यिकी विधि:

आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं प्रस्तुतीकरण, सचित्र, आरेख एवं आयतचित्र, बारंबारता बंटन, अवस्थित प्रकीर्णन/परिक्षेपण वैषम्य एवं ककुदता की माप, द्विचर एवं बहुचर आंकड़े, साहचर्य एवं आसंग, वक्रआसंजन एवं लंबकोणीय बहुपद, द्विचर प्रसामान्य बंटन । समाश्रयण – रैखिक, बहुपद, सहसंबंध गुणांक, आंशिक एवं बहु सहसंबंध, अंतवर्ग सहसंबंध, सहसंबंधनुपात का बंटन।

मानक त्रुटि और वृहत प्रतिदर्श(सैम्पल)परीक्षण । प्रतिदर्श माध्य (मीन) का प्रतिदर्श वितरण, प्रतिदर्श प्रसरण, t, काई (chi) वर्ग तथा F ; इन पर आधारित सार्थकता परीक्षण, लघु प्रतिदर्श परीक्षण ।

अप्राचलिक परीक्षण – समंजन सुष्ठुता, साईन माध्यिका, रन, विल्कक्सन, मान-विटनी, वाल्ड वुल्फोविटस एवं काल्मोगोराव-स्मिरनोव, क्रम सांख्यिकी – न्यूनतम, अधिकतम, परास एवं माध्यिका, उपगामी आपेक्षिक दक्षता की संकल्पना ।

(iii) संख्यात्मक विश्लेषण:

विभिन्न क्रमों के परिमित अंतर: Δ , E और D ऑपरेटर, बहुपद का क्रमगुणित निरूपण, प्रतीकों का पृथक्करण, अंतरालों का उप-विभाजन, शून्य के अंतर ।

अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की संकल्पना: सम अंतरालों, विभक्त अंतरालों पर न्यूटन ग्रेगोरी का अग्र और पश्च अंतर्वेशन(फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन) सूत्र और उनकी विशेषताएं, विभक्त अंतरालों पर न्यूटन का सूत्र, असम अंतरालों पर लेगेंजे का सूत्र, गाउस, स्टेर्लिंग और बेसल के कारण केंद्रीय अंतर सूत्र, अंतर्वेशन सूत्र में त्रुटि पद की संकल्पना।

प्रतिलोम अंतर्वेशन: प्रतिलोम अंतर्वेशन की विभिन्न विधियां ।

संख्यात्मक अवकलन: समलम्बी, सिम्पसन का एक-तिहाई और तीन बटे आठ नियम तथा वेडुल के नियम ।

श्रेणी-संकलन: जिसकी सामान्य परिभाषा (i) फलन का प्रथम-अंतर (ii) ज्यामितिक श्रेणी (प्रोगेशन)।

अवकलन समीकरणों के संख्यात्मक हल: ऑयलर पद्धति, मिल्ल पद्धति, पिकार्ड पद्धति और रूंगे कुट्टा पद्धति ।

(iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग और डाटा प्रोसेसिंग:

कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान : कंप्यूटर ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अंकगणित और तार्किक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इत्यादि, विभिन्न प्रकार के इनपुट, आउटपुट तथा पेरिफेरल उपकरणों सहित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अंक प्रणालियां, आपरेटिंग प्रणालियां, पैकेजिज और उपयोगिताएं, सरल और जटिल भाषा स्तर, संकलनकर्ता, एसेम्बलर, मेमोरी- रैम, रोम, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट (बिट्स, बाइट्स इत्यादि), नेटवर्क – लैन(LAN), वैन(WAN), इंटरनेट, इन्ट्रानेट, कंप्यूटर सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांत, वायरस, एन्टी वायरस, फायरवॉल, स्पाईवेयर, मालवेयर आदि।

प्रोग्रामिंग के मूलभूत सिद्धांत: एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, डाटा, सूचना, डाटाबेस, विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का सिंहावलोकन, परियोजना का फ्रंट एंड और बैक एंड, चर, नियन्त्रण संरचना, सरणी और उनके प्रयोग, प्रकार्य, माइक्रूल्स, लूप्स, प्रतिबंधी विवरण, अपवाद, डिबगिंग और संबंधित संकल्पनाएं ।

सांख्यिकी -II(वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) **रैखिक मॉडल :**

रैखिक आकलन सिद्धांत, गाउस-मार्कोव रैखिक मॉडल, आकलन योग्य प्रकार्य, त्रुटि और आकलन अंतराल, सामान्य समीकरण और अल्पतम वर्ग आकलक, त्रुटि परिवर्तन का आकलन, परस्पर प्रेक्षणों का आकलन, अल्पतम वर्ग आकलकों के विशेषताएँ, मैट्रिक्स का सामान्यीकृत प्रतिलोम और सामान्य सूत्रों का हल, अल्पतम वर्ग आकलकों के प्रसरण और सहप्रसरण।

एकतरफा (वन-वे) एवं दोतरफा (टू-वे) वर्गीकरण, नियत, यादृच्छिक और मिश्रित प्रभाव मॉडल। प्रसरण का विश्लेषण (केवल दोतरफा वर्गीकरण), टके, स्केफी और स्टुडेंट-न्यूमेन-कीयूल-डंकन के कारण बहु तुलनात्मक परीक्षण।

(ii) **सांख्यिकीय निष्कर्ष और परिकल्पना परीक्षण:**

अच्छे आकलन की विशेषताएँ: अधिकतम संभाविता, अल्पतम काई-वर्ग, आघूर्ण एवं न्यूनतम वर्ग के आकलन की विधियाँ, अधिकतम संभाविता आकलकों के इष्टतम गुण। न्यूनतम प्रसरण अनभिनत(अनबायस्ट) आकलक। न्यूनतम प्रसरण परिवर्द्ध आकलक, क्रामर-राव असमिका। भट्टाचार्य परिवर्द्ध। पर्याप्त आकलक। गुणनखंडन प्रमेय। पूर्ण सांख्यिकी राव ब्लैकवेल प्रमेय। विश्वास्यता अंतराल आकलन। इष्टतम विश्वास्यता परिवर्द्ध। पुनः प्रतिदर्शग्रहण, बूटस्ट्रैप एवं जैकनाइफ।

परिकल्पना परीक्षण: सरल एवं मिश्र परिकल्पना। दो प्रकार की त्रुटियाँ। क्रांतिक क्षेत्र(क्रीटीकल रीजन)। विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र एवं समरूप क्षेत्र। क्षमता फलन। शक्ततम एवं एक समान शक्ततम परीक्षण। नेमेन – पियर्सन मूल लेमा। अनभिनत परीक्षण यादृच्छीकृत परीक्षण। संभाविता अनुपात परीक्षण वाल्ड, एस.पी.आर.टी, ओ.सी. एवं ए.एस.एन फलन। निर्णय सिद्धांत के अवयव।

(iii) **आधिकारिक सांख्यिकी:**

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली

आधिकारिक सांख्यिकी: (क) आवश्यकता, उपयोग, उपयोगकर्ता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, सीमाएं, पारदर्शिता और इसका प्रकटीकरण (ख) संकलन, संग्रहण, संसाधन, विश्लेषण तथा प्रसार इसमें शामिल एजेंसियां, पद्धतियां।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन: दृष्टि तथा लक्ष्य(विजन और मिशन), एनएसएसओ तथा सीएसओ, भूमिकाएं तथा दायित्व, महत्वपूर्ण कार्यकलाप, प्रकाशन आदि।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग: आवश्यकता, गठन, इसकी भूमिका, प्रकार्य आदि; विधिक अधिनियम/उपबंध/ आधिकारिक सांख्यिकी के लिए अवलंब; महत्वपूर्ण अधिनियम।

सूचकांक : विभिन्न प्रकार, आवश्यकता, आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, आवधिकता, सम्मिलित एजेंसियां, उपयोग।

क्षेत्रवार सांख्यिकी : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल इत्यादि महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं जनगणना, संकेतक, एजेंसियां तथा परिपाटी इत्यादि।

राष्ट्रीय लेखे : परिभाषा, बुनियादी संकल्पनाएं, मुद्दे, कार्यनीति, आंकड़ों का संग्रहण तथा जारी करना।

जनगणना : आवश्यकता, संग्रहित आंकड़े, आवधिकता, आंकड़ा संग्रहण की पद्धतियां, उनका प्रसार, सम्मिलित एजेंसियां।

विविध : सामाजिक-आर्थिक संकेतक, महिला संबंधी विषयों पर जागरूकता/सांख्यिकी, महत्वपूर्ण सर्वेक्षण तथा जनगणनाएं।

सांख्यिकी –III (वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(i) **प्रतिदर्शग्रहण तकनीक**

जनगणना और प्रतिदर्श की संकल्पना, प्रतिदर्शग्रहण की आवश्यकता, सम्पूर्ण गणन बनाम प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिदर्शग्रहण हेतु मूल संकल्पनाएं, प्रतिदर्शग्रहण और गैर-प्रतिदर्शग्रहण त्रुटि, प्रतिदर्श सर्वेक्षण (क्षेत्र अन्वेषण में अपनायी गई प्रश्नावलियों, प्रतिदर्शग्रहण का डिजाइन और विधियों) में एनएसएसओ द्वारा अपनायी गई कार्य पद्धतियां।

विषयपरक अथवा उद्देश्यपरक प्रतिदर्शग्रहण, प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण अथवा यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिस्थापन सहित और इसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, जनगणना माध्य(मीन) का आकलन, जनसंख्या समानुपात और उनकी मानक त्रुटियां, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, समानुपातिक और इष्टतम आबंटन, नियत प्रतिदर्श आकार के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण से तुलना। सहप्रसरण और प्रसरण प्रकार्य।

आकलन की अनुपात, गुणनफल और समाश्रयण विधियां, जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन, प्रथम कोटिक सन्निकटन की अभिनति और प्रसरण का मूल्यांकन, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना ।

क्रमबद्ध प्रतिदर्शग्रहण (इसमें जनसंख्या आकार (N) एक पूर्णांक है जोकि प्रतिदर्शग्रहण आकार(n) का गुणांक है)। जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन और इस आकलन की मानक त्रुटि, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना ।

आकार के समानुपातिक (प्रतिस्थापन विधि सहित तथा इसके बिना) प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण $n=2$, के लिए देशराज और दास आकलक, हार्विज-थॉमसन आकलक ।

समान आकार वाले समूह का प्रतिदर्शग्रहण:- जनगणना माध्य (मीन) और जोड़ के आकलक तथा उनकी मानक त्रुटियां, अंतरा-वर्ग सहसंबंध सहगुणांक के रूप में समूह प्रतिदर्शग्रहण की एसआरएस के साथ तुलना ।

बहुचरणीय प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना और इसके अनुप्रयोग, दूसरे चरण की इकाइयों की संख्या को समान रखते हुए द्वि चरणीय प्रतिदर्शग्रहण । जनसंख्या माध्य(मीन) और जोड़ का आकलन । दोहरा प्रतिदर्शग्रहण अनुपात और आकलन की समाश्रयण विधियां ।

परस्पर वेधी(इंटरपेनिट्रिटिंग) उप-प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना ।

(ii) अर्थमीति

अर्थमीति की प्रकृति, सामान्य रैखिक मॉडल (जीएलएम) तथा इसका विस्तार, साधारण अल्पतम वर्ग आकलन (OLS) और प्रागुक्ति(प्रेडिक्शन), सामान्यीकृत अल्पतम वर्ग आकलन (GLS) और प्रागुक्ति, विषम विचालिता विक्षोभ (हेटेरोस्केडेस्टिक डिस्ट्रिब्यूशन), शुद्ध और मिश्रित आकलन ।

स्व-सहसंबंध, इसके परिणाम और परीक्षण, थेएल बीएलयूएस प्रक्रिया, आकलन और प्रागुक्ति, बहु सह-रैखिकता की समस्या, इसके निहितार्थ और समस्या का हल निकालने के साधन, रिज समाश्रयण ।

रैखिक समाश्रयण और प्रसंभाव्य समाश्रयण, साधनभूत चर आकलन, चरों में त्रुटियां, स्व-समाश्रयण, रैखिक समाश्रयण, पश्चगामी चर, बंटित पश्चता(लैग) मॉडल, ओएलएस पद्धति से पश्चताओं का आकलन, कोएक का ज्यामितिक पश्चता मॉडल ।

युगपत रैखिक समीकरण मॉडल और इसका व्यापकीकरण, समस्या का अभिनिर्धारण, संरचनात्मक पैरामीटरों पर प्रतिबंध, कोटिक्रम स्थितियां ।

युगपत समीकरण मॉडल आकलन, पुनरावर्तन प्रणालियां, 2 एसएलएस आकलक, सीमित सूचना आकलक, के-वर्ग (k-class) आकलक, 3 एसएलएस आकलक, पूर्ण सूचना अधिकतम संभाविता विधि, प्रागुक्ति और युगपत विश्वास्यता अन्तराल ।

(iii) अनुप्रयुक्त सांख्यिकी

सूचकांक: मूल्य सापेक्षताएं और परिमाण अथवा मात्रा सापेक्षताएं, सूचकांक का लिंक और शृंखला सापेक्ष संघटन; लस्पेयरे पासचेस, मार्शल एजवर्थ और फिशर सूचकांक, शृंखला आधारित सूचकांक, सूचकांक के लिए परीक्षण, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना, आय वितरण-परेटो और एंजेल वक्र, केन्द्रण वक्र, राष्ट्रीय आय का आकलन करने की विधियां, अंतर-क्षेत्रीय प्रवाह, अन्तर-उद्योग तालिका, सीएसओ की भूमिका, मांग विश्लेषण ।

काल श्रेणी (टाइम सीरीज) विश्लेषण: आर्थिक काल श्रेणी (इकॉनॉमिक टाइम सीरीज), विभिन्न घटक, दृष्टांत, योगात्मक और गुणात्मक मॉडल, प्रवृत्ति का निर्धारण, मौसमी और चक्रीय उतार-चढ़ाव ।

असतत पैरामीटर प्रसंभाव्य प्रक्रम के रूप में काल श्रेणी, स्वचल सहप्रसरण और स्वचल सहसंबंध प्रकार्य और उनके गुण। अन्वेषी काल श्रेणी विश्लेषण, प्रवृत्ति और मौसम-तत्व का परीक्षण, चरघातांकी और गतिमान माध्य(एवरेज) समरेखण (एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज स्मूदिंग) । होल्ड-विंटर्स स्मूदिंग, समरेखण (स्मूदिंग) पर आधारित पूर्वानुमान ।

अचल (स्टेशनरी) प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन : (1) गतिमान माध्य(एवरेज) (एम ए), (2) स्व समाश्रयी (एआर), (3) एआरएमए तथा (4) एआर समेकित एमए (एआरआईएमए) मॉडल । बॉक्स जेनकिन्स मॉडल, एआर तथा एमए अवधियों का चयन ।

वृहत प्रतिदर्श सिद्धांत के अधीन माध्य(मीन) के आकलन, स्व सहप्रसरण तथा स्व सहसंबंध प्रकार्य पर चर्चा(साक्ष्य के बिना), एआरआईएमए मॉडल पैरामीटर के आकलन।

क्षीण अचल प्रक्रियाओं का मानावलीय(स्पेक्ट्रल) विश्लेषण, आवर्तिता वक्र (पीरियडोग्राम) तथा सह-संबंध चिह्न (कोरिलोग्राम) विश्लेषण, फूरिए रूपान्तर पर आधारित अभिकलन।

सांख्यिकी-IV (वर्णनात्मक) (केवल भा.सा.से. हेतु)

(नीचे दिए गए सभी खंडों में प्रश्नों की संख्या बराबर है अर्थात् इनके लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को किन्हीं दो खंडों का चयन करके उनके उत्तर देने हैं)

I. संक्रिया विज्ञान अनुसंधान एवं विश्वसनीयता:

संक्रिया विज्ञान अनुसंधान की परिभाषा तथा विषय-क्षेत्र : संक्रिया विज्ञान अनुसंधान के चरण, मॉडल तथा उनके हल, अनिश्चितता तथा जोखिम के अंतर्गत निर्णय लेना, अलग-अलग मानदंडों का उपयोग, सुग्राहिता विश्लेषण।

परिवहन तथा नियतन समस्याएं: बेलमैन का इष्टतमता का सिद्धांत, सामान्य निरूपण, अभिकलन पद्धतियां तथा एलपीपी के लिए गतिक प्रोग्रामन का अनुप्रयोग।

प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निर्णय लेना, द्वि व्यक्तीय खेल(टू पर्सन्स गेम), शुद्ध तथा मिश्रित कार्यनीतियां, शून्य-योग खेल (जीरो-सम गेम) में समाधान की विद्यमानता और मान की अद्वितीयता, 2×2 , $2 \times m$ तथा $m \times n$ खेलों में समाधान ढूँढना।

तालिकाओं(इन्वेंट्री) संबंधी समस्याओं की विश्लेषणात्मक संरचना, हैरिस का इओक्यू सूत्र, इसका सुग्राहिता विश्लेषण तथा मात्रा मितिकाटा और कमियों की अनुमति देते हुए विस्तरण। व्यवरोधयुक्त बहुपद तालिका, यादृच्छिक मांग मॉडल, स्थैतिक जोखिम मॉडल। स्थिर और यादृच्छिक अग्रता काल वाली P तथा Q-प्रणालियां।

पंक्ति-मॉडल विनिर्देश और प्रभाविता के उपाय। पंक्ति-लंबाई तथा प्रतीक्षा काल से संबंधित बंटनों के साथ M/M/1, M/M/c के माडलों के स्थायी-अवस्था समाधान। M/G/1 पंक्ति तथा पोलाजेक-खिशिन परिणाम।

अनुक्रमण तथा अनुसूचन(शेड्यूलिंग) समस्याएं। सभी कार्यों के लिए समरूप मशीन अनुक्रम के साथ 2-मशीन n-जॉब तथा 3-मशीन n-जॉब संबंधी समस्याएं।

यात्रा कर रहे सेल्समैन की समस्या के समाधान के लिए ब्रांच एंड बाउंड विधि।

प्रतिस्थापन समस्याएं- ब्लॉक एंड एज प्रतिस्थापन नीतियां।

पीईआरटी तथा सीपीएम-मूल संकल्पनाएं। परियोजना के पूरा होने की प्रायिकता।

विश्वसनीयता संकल्पनाएं तथा उपाय, घटक व प्रणालियां, संगत प्रणाली, संगत प्रणाली की विश्वसनीयता।

वय-बंटन, विश्वसनीयता प्रकार्य, जोखिम दर, सामान्य एक-विचर वय-बंटन - चरघातांकी, वैबुल, गामा, आदि। द्विचर चरघातांकी बंटन। इन मॉडलों में पैरामीटरों तथा परीक्षणों का आकलन।

काल प्रभावन की धारणाएं - IFR, IFRA, NBU, DMRL तथा NBUE वर्ग तथा उनके द्वैध। चरघातांकी बंटन की विस्मृति की विशेषता।

विभिन्न खंड वर्जित (सेंसर) आयु-परीक्षणों में और विफल मदों के प्रतिस्थापन वाले परीक्षणों में विफलता के समय पर आधारित विश्वसनीयता का आकलन। प्रतिबल-प्रबलता विश्वसनीयता तथा इसका आकलन।

(ii) जनसांख्यिकी तथा जन्म-मरण सांख्यिकी:

जनसांख्यिकी आंकड़ों के स्रोत, जनगणना, पंजीकरण तदर्थ सर्वेक्षण, अस्पतालों के रिकॉर्ड व भारतीय जनगणना का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल।

पूर्ण वय-सारणी तथा इसकी मुख्य विशेषताएं, वय-सारणी के उपयोग। मैकहैन्स तथा गोमपेटर्ज वक्र। राष्ट्रीय वय-सारणी। यूएन मॉडल वय-सारणी। संक्षिप्त वय-सारणी। स्थायी एवं स्थावर जनसंख्या।

जननक्षमता की माप: अशोधित(क्रूड) जन्म दर, सामान्य जनन दर, आयु-विशिष्ट जन्म दर, कुल जननक्षमता दर, सकल प्रजनन दर, निवल प्रजनन दर।

मृत्यु दर की माप: अशोधित मृत्यु दर, मानकीकृत मृत्यु दर, आयु-विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकारण मृत्यु दर।

आंतरिक प्रवसन तथा इसकी माप, प्रवसन मॉडल, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन की संकल्पना । निवल प्रवसन । अंतरराष्ट्रीय आकलन तथा जनगणना के बाद का आकलन । प्रक्षेप विधि,संभार वक्र समंजन (लॉजिस्टिक कर्व फिटिंग)। भारत में दशवार्षिक जनगणना।

(iii) उत्तर-जीविता विश्लेषण तथा रोग-लक्षण परीक्षण:

समय की संकल्पना , क्रमिक तथा यादृच्छिक गणना, बंटन में संभाविता, इन बंटनों के लिए चर-घातांक, गामा, वीबुल, लॉगनोरमल, पेरीटो, रैखिक विफलता दर तथा अनुमिति(इन्फरेंस) ।

वय-सारणी, विफलता दर, माध्य(मीन) शेष जीवन तथा उनके प्रारंभिक वर्ग व उनकी विशेषताएं ।

उत्तरजीविता प्रकार्य का आकलन-जीवनांकिक आकलक, कपलान-मेअर आकलक, आईएफआर/ डीएफआर के पूर्वानुमान के अंतर्गत आकलन, अप्राचलीय वर्गों(नॉन-पैरामीट्रिक क्लास) की तुलना में चर-घातांकिकता का परीक्षण, कुल परीक्षण समय।

द्वि-प्रतिदर्श समस्या- गेहन परीक्षण, लॉग रैंक परीक्षण ।

विफलता दर के लिए अर्ध-प्राचलीय समाश्रयण(रिग्रेसन) - एक तथा अनेक सह-परिवर्तियों के साथ कॉक्स का समानुपातिक संकट मॉडल, समाश्रयण(रिग्रेसन)गुणांक के लिए रैंक परीक्षण ।

प्रतिस्पर्धा जोखिम मॉडल, इस मॉडल के लिए प्राचलीय व अप्राचलीय अनुमिति ।

रोग-लक्षण परीक्षणों का परिचय : रोग-लक्षण परीक्षण की आवश्यकता तथा आचारनीति , रोग-लक्षण अध्ययनों में अभिनति यादृच्छिक त्रुटियां, रोग-लक्षण परीक्षणों का संचालन, चरण I-IV परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण, बहु-केंद्रीय परीक्षण ।

आंकड़ा प्रबंधन : आंकड़ों की परिभाषा, केस रिपोर्ट फार्म, डाटाबेस डिजाइन, रोग-लक्षण की सही कार्यपद्धति के लिए डाटा संग्रहण प्रणालियां ।

रोग-लक्षण परीक्षणों की रूप-रेखा : समानांतर बनाम क्रॉस ओवर डिजाइन, वर्गगत(क्रॉस सेक्शनल) बनाम अनुदैर्घ्य (लॉन्जिट्यूडनल) डिजाइन, बहुउपादानी डिजाइन की समीक्षा, रोग-लक्षण परीक्षणों के उद्देश्य तथा अंत्य बिंदु, प्रावस्था I (फ्रेज-I) परीक्षणों का डिजाइन, एकल-चरण तथा बहु-चरण प्रावस्था II परीक्षणों का डिजाइन, अनुक्रमिक निरोध(स्टॉपिंग) के साथ प्रावस्था-III परीक्षणों का डिजाइन तथा मॉनीटरन ।

रिपोर्ट देना तथा विश्लेषण करना : प्रावस्था I-III परीक्षणों से प्राप्त सुनिश्चित परिणामों का विश्लेषण, रोग-लक्षण परीक्षणों से प्राप्त उत्तरजीविता आंकड़ों का विश्लेषण ।

(iv) गुणवत्ता नियंत्रण:

सांख्यिकीय प्रक्रिया(प्रोसेस) तथा उत्पाद(प्रोडक्ट) नियंत्रण : उत्पाद की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता, प्रक्रिया नियंत्रण की मूल संकल्पना, प्रक्रिया(प्रोसेस) क्षमता तथा उत्पाद नियंत्रण, नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत, गुणवत्ता में भिन्नता के कारण, नियंत्रण सीमाएं, नियंत्रण बाह्य मानदंडों के उप-समूहन सारांश, p चार्ट, np चार्ट, c-चार्ट, V-चार्ट के प्रतीकों के लिए चार्ट, चरों के लिए चार्ट : R, (X, R), (X, σ) चार्ट ।

प्रक्रिया(प्रोसेस)मॉनीटरन तथा नियंत्रण की मूल संकल्पना; प्रक्रिया(प्रोसेस)क्षमता तथा इष्टतमीकरण ।

गुण(एट्रीब्यूट) तथा चर(वेरिएबल) डाटा के लिए नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत तथा समीक्षा ; नियंत्रण चार्ट की O.C. तथा A.R.L. प्रमापन द्वारा नियंत्रण; गतिमान माध्य(एवरेज) तथा चरघातांकी रूप से भारित गतिमान माध्य(एवरेज)चार्ट; V-मास्क तथा निर्णय अंतरालों का उपयोग करके Cu-योग चार्ट; X-बार चार्ट का आर्थिक डिजाइन ।

गुण(एट्रीब्यूट) निरीक्षणों के लिए स्वीकरण प्रतिदर्शग्रहण योजना; एकल तथा द्वि प्रतिदर्शग्रहण योजनाएं तथा उनकी विशेषताएँ; एक-पक्षीय तथा द्वि-पक्षीय विनिर्देश के लिए चरों द्वारा निरीक्षण की योजनाएं ।

(v) बहुचर विश्लेषण

बहुचर प्रसामान्य बंटन और इसकी विशेषताएँ: बहुचर प्रसामान्य बंटन से यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण । पैरामीटरों के अधिकतम संभाविता आकलक, प्रतिदर्श माध्य सदिश (मीन वेक्टर) का बंटन ।

विशार्ट मैट्रिक्स – इनका बंटन और विशेषताएँ, प्रतिदर्श प्रसामान्यकृत प्रसरण का बंटन, बहु सहसंबंध गुणों का शून्य और गैर-शून्य बंटन ।

होटलिंग का T^2 और इसका प्रतिदर्शग्रहण बंटन, एक और एक से अधिक बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या के लिए माध्य सदिश(मीन वेक्टर) पर तथा साथ ही बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या में माध्य सदिश(मीन वेक्टर) के घटकों की समानता पर परीक्षण में अनुप्रयोग ।

वर्गीकरण की समस्या: अच्छे वर्गीकरण के मानक, बहुचर प्रसामान्य बंटनों पर आधारित वर्गीकरण की प्रक्रिया ।

प्रधान घटक, विमा(डाइमेंशन) में कमी, विहित विचर एवं विहित सह-संबंध - परिभाषा, उपयोग, आकलन और अभिकलन।

(vi) प्रयोगों का डिजाइन एवं विश्लेषण:

एक तरफा एवं दो तरफा वर्गीकरणों के लिए प्रसरण का विश्लेषण, प्रयोगों के डिजाइन की आवश्यकता, प्रयोगात्मक डिजाइन का मूल सिद्धांत (यादृच्छीकरण, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण), पूर्ण विश्लेषण तथा पूर्ण यादृच्छीकृत डिजाइनों के अभिन्यास(लेआउट), यादृच्छीकृत ब्लॉक डिजाइन और लेटिन वर्ग डिजाइन, मिसिंग प्लॉट तकनीक। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तथा स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन ।

2⁰ तथा 3⁰ प्रयोगों में क्रमगुणित प्रयोग तथा संकरण । सह-प्रसरण का विश्लेषण । अस्वतंत्र आंकड़ों का विश्लेषण । अप्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण ।

(vii) C तथा R के साथ अभिकलन (कंप्यूटिंग) :

C के मूल सिद्धांत : C-लेंग्वेज के घटक, C-प्रोग्राम की संरचना, डाटा के प्रकार, बेसिक डाटा के प्रकार, गिने हुए डाटा के प्रकार, व्युत्पन्न डाटा के प्रकार, चर कथन(वेरिएबल डिक्लेरेशन), स्थानीय, वैश्विक, प्राचलीय(पैरामीट्रीक)चर, चर का नियतन, अंकीय, संप्रतीक, रियल एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, अंकगणित, रिलेशन एवं लॉजिकल ऑपरेटर, एसाइनमेंट ऑपरेटर तथा वृद्धि और ह्रास ऑपरेटर, प्रतिबंधी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, प्रारूप रूपांतरक एवं अभिव्यंजक(एक्सप्रेसन), लेखन और निर्वचन अभिव्यंजक, विवरणों में अभिव्यंजकों का उपयोग, बेसिक इनपुट /आउटपुट

नियंत्रण विवरण : प्रतिबंधी विवरण, इफ-एल्स, इफ-एल्स नेस्टिंग, एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, c में लूप्स, फार, वाइल डू-व्हाईल लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्जिट (), गो टू और लेवल डिक्लेरेशन, एक आयामी द्वि आयामी तथा बहुआयामी सरणी(अरै), संग्रहण वर्ग (स्टोरेज क्लास), स्वचालित चर, बाह्य चर, स्थैतिक चर, कथन का स्कोप एवं उनकी आवधिकता ।

प्रकार्य : प्रकार्यों का वर्गीकरण, प्रकार्यों की परिभाषा तथा कथन, प्रकार्यों का मूल्यांकन, रिटर्न विवरण, प्रकार्यों में पैरामीटर पासिंग । प्वाइंटर्स (केवल संकल्पना)

संरचना : परिभाषा तथा कथन; संरचना चर(स्ट्रक्चर वेरिएबल) की संरचना (आरंभिक) तुलना, संरचनाओं की सरणी, संरचनाओं के भीतर सरणी, संरचनाओं के अंदर की संरचनाएं, संरचनाओं की प्रकार्यों के लिए पासिंग, यूनियन मेम्बर तक पहुंच (एक्सेस) वाली यूनियन, संरचना का यूनियन, यूनियन चर को प्रारंभ करना, यूनियन का उपयोग । लिंकड लिस्ट, लिनियर लिंकड लिस्ट, लिस्ट में नोड को शामिल करने, लिस्ट से नोड को हटाने की जानकारी ।

C में फाइलें : फाइल को परिभाषित करना तथा खोलना, फाइल पर इनपुट – आउटपुट प्रचालन, फाइल बनाना, फाइल पढ़ना।

R में सांख्यिकी पद्धतियां तथा तकनीकें ।

परिशिष्ट-II(क)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ❖ ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- ❖ उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- ❖ उम्मीदवारों को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) के शुल्क (अजा/अजजा/महिला/बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों को

छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है), या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करने के माध्यम से या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

- ❖ ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास विधिवत स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर .जेपीजी (.JPG) प्रारूप में इस प्रकार होने चाहिए ताकि प्रत्येक फ़ाइल 300 के.बी. से अधिक न हो और यह फोटो और हस्ताक्षर के मामले में 20 के.बी. से कम न हो।
- ❖ इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक, **19 अप्रैल, 2023 से 09 मई, 2023 सांय 6:00 बजे तक** भरा जा सकता है।
- ❖ आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- ❖ आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।
- ❖ उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट- II (ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात् उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

परिशिष्ट-III

परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में ले जाने वाली वस्तुएं :

केवल "नान-प्रोग्रामएबल" प्रकार की बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय, इंजीनियरी, आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइडरूल, सैट स्कवायर, एक प्रोटेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र के कलम, रबड़, टी-स्कवायर तथा ड्राइंग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए। उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की सारणी अथवा चार्ट साथ लाने की अनुमति नहीं है।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करनेपर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां :

किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा :-

- (i) गणितीय, भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित)

- (ii) भाप (स्टीम) सारणियां-800° सेंटीग्रेड तथा 500 के.जी.एफ./सेंटी मी. वर्ग तक के दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित।
- (iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग 6
- (iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य विशेष वस्तु। परीक्षा समाप्त होने पर उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को लौटा दें।

3. उत्तर अपने हाथ से लिखना :

उत्तरों को स्याही से अपने हाथ से लिखें। पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है।

4. उत्तर-पुस्तिका की जांच :

उम्मीदवार को प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में केवल अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं)। उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है। यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने निकले हुए हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए। उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करता है, तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित कर देनी चाहिए। उम्मीदवारों को उत्तरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उम्मीदवार उसे काट दें।

5. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा। शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे जो उन्हें निरीक्षक से मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवार को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुले पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर-पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका(एं), यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें। उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक इन शीटों पर न लिखें।

7. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही :

उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके उत्तरों की नकल किसी अन्य उम्मीदवार ने नहीं की है। यह सुनिश्चित न कर पाने की स्थिति में अनुचित तरीके अपनाने के लिए आयोग द्वारा दंडित किए जाने का भागी होगा।

8. परीक्षा भवन में आचरण :

उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें जैसे कि परीक्षा हाल में अव्यवस्था फैलाना या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा।

9. कृपया परीक्षा हाल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को पढ़ें तथा उनका अनुपालन करें।

परिशिष्ट-IV

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी :

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बॉल पेन, लिखने के लिए भी उन्हें काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड :

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $1/3$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।
- (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही :

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण :

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण :

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

“वस्तुपरक” परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अधर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने केवल काले बॉल पेन से संगत विवरण भरना है।

- उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करें।
- समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।
- समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
- समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
- दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरणों में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

13. उम्मीदवारों को परीक्षा के निर्धारित समय अवधि की समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तियों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
Centre	Subject	Subject Code	Roll No.

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
Centre	Subject	Subject Code	Roll No.
दिल्ली	गणित (ए)	0 1	0 8 1 2 7 6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बॉल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूँढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए)	विषय	0	1
Booklet Series (A)	Subject		

- B
 C
 D

- ①
 1 ●
 2 ②
 3 ③
 4 ④
 5 ⑤
 6 ⑥
 7 ⑦
 8 ⑧
 9 ⑨

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

अनुक्रमांक
 Roll Numbers

0	8	1	2	7	6
●	①	①	①	①	①
①	①	●	①	①	①
②	②	②	●	②	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है.

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

परिशिष्ट-V

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र श्री/ सुपुत्री श्री निवासी (गांव/ज़िला/राज्य) जो (विकलांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रस्त है, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
 सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट : प्रमाण पत्र सम्बंधित रोग/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिये नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)

परिशिष्ट-VI

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध

(उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए)

मैं (नाम) (विकलांगता का नाम) विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूँ तथा अनुक्रमांक के तहत (राज्य का नाम) ज़िले के (परीक्षा केंद्र का नाम) केंद्र पर (परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिये श्री (स्क्राइब का नाम) अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उसकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किये अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती है तो मैं इस पद और तत्सम्बंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

स्थान :
तारीख :

परिशिष्ट-VII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती
(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/पोस्ट
ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की
प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता
को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र
(नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन
हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी
चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट) / विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्युकैटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:
दिनांक:

परिशिष्ट-VIII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं, (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूँ, जो
..... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला,
(राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूँ कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक: